संख्याः 4075/VII-II-11/01–रा0मु0/2005

प्रेषक,

एम0सी0 उप्रेती,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड,
रूड़की हरिद्वार।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 16 मार्च,2011

विषयः **राजकीय मुद्रणालय रूड़की हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में आयोजनागत मद अन्तर्गत मुद्रण मशीन क्रय हेतु धनराशि स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः3448/भण्डार–क्रय/10–11 दिनांक 16.12.2010 एवं पत्रांक–221/भण्डार क्रय/10–11 दिनांक 25.1.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में राजकीय मुद्रणालय रूड़की के लिए नयी मुद्रण मशीन क्रय हेतु **26–मशीनें और साज–सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में ₹20,03,198-00 (₹ बीस लाख तीन हजार एक सौ अठान्बे मात्र)** की धनराशि को व्यय किये जाने हेतु निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(i)– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय उन्हीं मदों में किया जाये जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लघंन होता हो।

(ii)– स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेन्ट) नियमावली, 2008 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(iii)– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल की अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के आधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

(iv)– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31.03.2011 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांकः 31.03.2011 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

2– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक, 4058– लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय, 00–आयोजनागत, 103–सरकारी मुद्रणालय, 03–सरकारी मुद्रणालयों में मशीनें तथा उपकरणों एवं संयंत्रों का क्रय–00, 26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या:766/XXVII(2)/2011 दिनांक 04 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 4075/VII-II-11/01–रा0मु0/2005 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी रूड़की हरिद्वार।
3. निजी सचिव–मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त/नियोजन उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2
9. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(एम0सी0 उप्रेती)
अपर सचिव।